AMBEDKARNAGAR POLICE

दिनांक 05.04.2026 **थाना बसखारी**

जनपद अम्बेडकरनगर एसओजी व थाना बसखारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना बसखारी क्षेत्र अन्तर्गत ज्वैलर्स व्यवसायी द्वारा आभूषण लूटने की घटना की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक अनावरण किया गया व 73.24 ग्राम आभूषण बरामद किये गये ।

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा चोरी/लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिजीत आर. शंकर एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री हरेन्द्र कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितीश तिवारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.04.2026 को थाना बसखारी पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

एसओजी टीम व थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में व0उ0नि0 शशांक शुक्ला एवं पुलिस टीम द्वारा थाना बसखारी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 84/2026, धारा 319(2), 303(2), 212, 317(2) बीएनएस से संबंधित मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 73.24 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद किये गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 04.04.2026 को रोहित शर्मा पुत्र राम उजागिर निवासी विमावल, थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर जिसकी रामनगर में ज्वैलरी की दुकान है के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि जब वह मनोज सोनी निवासी कस्बा बसखारी के यहाँ से 73.24 ग्राम सोने के आभूषण लेकर जा रहा था तभी रास्ते में 02 मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों ने तमंचा दिखाकर आभूषण छीन लिये। पुलिस द्वारा जाँच में पाया गया कि रोहित द्वारा लगभग 03.30 घण्टे बाद सूचना दी गई तथा CCTV फुटेज से उसकी बातें प्रमाणित नहीं हो रही थी। शक होने पर मनोज सोनी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि रोहित उसकी दुकान से 73.24 ग्राम स्वर्ण आभूषण लेकर गया था तथा अब लूट की झूठी कहानी बता रहा है , मुझे शक है कि रोहित द्वारा ज्वैलरी हड़पने की नीयत से यह षड़यंत्र किया गया है। उक्त तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 84/2026, धारा 319(2), 303(2), 212, 317(2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया। कड़ाई से पूछताछ किये जाने पर रोहित द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपने मित्र साहित्य तिवारी उर्फ राजन तिवारी द्वारा षणयंत्र के तहत आभूषणों को साहित्य के पास छिपा दिया था तथा लूट की झूठी घटना पुलिस को बताई थी। पुलिस द्वारा शत-प्रतिशत आभूषणों की बरामदगी करते हुए दोनों अभियुक्तों को समय 02.40 बजे अन्नापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रोहित शर्मा (उम्र लगभग 25 वर्ष) निवासी – विमावल, थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. साहित्य कुमार तिवारी उर्फ राजन तिवारी (उम्र लगभग 27 वर्ष) निवासी – लाडिलापुर, थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण बरामदगी (कुल 73.24 ग्राम के आभूषण)-

1. हार – 02 अदद (26.01 ग्राम)
2. मर्दानी अंगूठी – 04 अदद (8.71 ग्राम)
3. महिला अंगूठी – 04 अदद (6.290 ग्राम)
4. नथिया – 01 अदद (2.120 ग्राम)
5. कान का छाला – 03 जोड़ी (11.370 ग्राम)
6. झुमका (तीन तल्ला) – 01 जोड़ी (5.940 ग्राम)
7. चैन – 01 अदद (5.100 ग्राम)
8. कान का बूंदा – 05 अदद (7.700 ग्राम)

विवरण पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-84/2026, धारा 319(2), 303(2), 212, 317(2) बीएनएस थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास (रोहित शर्मा उपरोक्त)-

01.मु.अं.सं. 03/2021 धारा 504/506 बीएनएस, थाना आलापुर, अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 शशांक शुक्ला थाना बसखारी
2. उ0नि0 कमलेश यादव थाना बसखारी
3. का0 कुशलपाल सिंह थाना बसखारी
4. का0 शैलेन्द्र चौधरी थाना बसखारी
5. का0 भूपेश चौधरी थाना बसखारी
6. का0 राकेश कुशवाहा थाना बसखारी
7. म0का0 अर्चना सिंह थाना बसखारी

08.एसओजी प्रभारी विनोद यादव

09.स्वाट/सर्विलांस प्रभारी नि0 संजय पाण्डेय

10. हे0का0 प्रभात मौर्या
11. हे0का0 पुनीत गुप्ता
12. हे0का0 सुनील कुमार
13. हे0का0 अमरेश यादव
14. हे0का0 विकास ओझा
15. हे0का0 उमेश यादव
16. हे0का0 तेजभान
17. हे0का0 महेश प्रताप सिंह
18. हे0का0 सोरभ पाण्डेय

19. का0 अमित तिवारी

20. का0 विपिन राठौर

21. का0 शिवम शर्मा

22. का0 दिव्यांश यादव

23. का0 विजेन्द्र यादव

24. हे0का0 मनीष कुमार

25. का0 जाकिर हुसैन